कार्यालय नगर परिषद बिजावर जिला – छतरपुर (म0प्र0)

क्रमांक/421 /राजस्व/दुकान आवंटन/न.प.बिजावर/2026 बिजावर, दिनांक – 04/ 05/2026

ई–टेण्डर सूचना (प्रथम)

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका अधिनियम 1961, अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 1996 एवं 1998 एवं राजपत्र 24 फरवरी 2016 (संसोधित 04 मई 2021 एवं 28 मार्च 2023) अंतर्गत नगर परिषद स्वामित्व की वार्ड क्रमांक 01 मेला ग्राउण्ड बिजावर छतरपुर मुख्य मार्ग पर निर्मित दुकान क्रमांक 35 (दुकान क्रमांक 01 की दीवाल से लगकर तहसील कार्यालय की ओर) को स्वयं के व्यवसायिक उपयोग हेतु 30 वर्ष के अवधि हेतु पट्टे पर दिये जाने हेतु प्रकशित राशि (वापिस अयोग्य) के लिये ई–टेण्डर द्वारा दिनांक **23/05/2026 को शाम 05.30** बजे तक नगर परिषद द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आफर्स आमंत्रित किये जाते हैं। उच्चतम ऑफर स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर परिषद का होगा। बिना कारण बताये ऑफर बताये ऑफर अस्वीकार किया जा सकेगा। पट्टे के संबंध में विस्तृत शर्तें कार्यालयीन समय में कार्यालय में देखी जा सकती हैं। ऑफरकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वह दुकानों की अवस्थिति एवं भौतिक क्षमता, पट्टे की शर्तों का ऑफर पूर्व भली–भांति अवलोकन/निरीक्षण कर लें, पश्चात्वर्ती प्रक्रम किसी भी प्रकार के आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। प्रत्येक दुकान/सम्पत्ति के लिये पृथक–पृथक ऑफर आवश्यक है।

//किराये पर दी जाने वाली दुकान का विवरण//

क्र	ई–टेण्डर क्रमांक	दुकान की पहचान क्रमांक	दुकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	निर्धारित आरक्षित राशि (रू. में)	निक्षेप (अमानत राशि रू में)	ऑफर प्रपत्र का मूल्य रू में	आरक्षण की स्थिति
1	2026_UAD_504870	35	11.5	527264	13182	2000	अनारक्षित

ऑफर्स केवल आरक्षित राशि के लिये ही मान्य एवं निर्धारित आरक्षित राशि से कम के ऑफर विचारनीय नहीं होंगे। दुकान का वार्षिक किराया उच्चतम ऑफर राशि का 02 प्रतिशत होगा एवं प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। यह सूचना http://www.mptendars.gov.in पर ऑनलाईन उपलब्ध है एवं संसोधन की सूचना ऑनलाईन वेवसाईट पर डाली जावेगी, समाचार पत्रों मे प्रकाशन नहीं किया जावेगा। अनारक्षित दुकान का हस्तांतरण 03 वर्ष से पहले नहीं किया जा सकेगा साथ ही हस्तांतरण के पूर्व निकाय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। दुकान की कोई भी संरचना नहीं बदली जावेगी एवं पुताई व अन्य कार्य नगर परिषद में विधिवत शुल्क जमा कर कराई जा सकेगी, दुकानदार स्वतः कोई कार्य नहीं कर सकेगा। आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदादाता का निकाय से संबंधित किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं होना चाहिये। उच्चतम निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रीमियम राशि आवंटन के तत्काल बाद व शेष राशि 30 दिवस में जमा कर स्वयं के व्यय से रजिस्टर्ड अनुबंध संपादित करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् कब्जा दिया जावेगा अन्यथा की स्थिति में जमा राशि राजसात कर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। निविदादाता को वयस्क होना अनिवार्य होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बिजावर
जिला छतरपुर म0प्र0

पृ.क्रमांक/ 422 /राजस्व/दुकान आवंटन/न.प.बिजावर/2026 बिजावर, दिनांक – 04/ 05/2026

प्रतिलिपि–

1– कार्यालय कमिश्नर सागर संभाग सागर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2– कार्यालय कलेक्टर छतरपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3– कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सागर संभाग सागर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4– सूचना पटल कार्यालय तहसील/नगर परिषद/जनपद पंचायत बिजावर पर चस्पा हेतु।
5– संवाददाता समचार पत्र ....की ओर आगामी अंक में न्यूनतम स्पेश में रू ..../– तक प्रकाशन हेतु ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Purushottam Prajapati
Date: 2026.05.04 14:59:35 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बिजावर
जिला छतरपुर म0प्र0